

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 443]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 22, 2014/श्रावण 31, 1936

No. 443]

NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 22, 2014/SHRAVANA 31, 1936

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अगस्त, 2014

सा.का.नि. 611(अ).—केंद्रीय सरकार, प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) की धारा 30 की उपधारा (2) के खंड (जक) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रतिभूति संविदा (विनियमन) नियम, 1957 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (दूसरा संशोधन) नियम, 2014 है।
(2) ये उनके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. प्रतिभूति संविदा (विनियमन) नियम, 1957 के नियम 19क में,—
(i) उपनियम (1) में,—

(क) "पब्लिक सेक्टर कंपनी से भिन्न" शब्दों का लोप किया जाएगा;

(ख) परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु प्रत्येक सूचीबद्ध पब्लिक सेक्टर कंपनी, जिसका प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (दूसरा संशोधन) नियम, 2014 के लागू होने की तारीख को पच्चीस प्रतिशत से कम शेयर धारण है, उस रीति में जो भारत के प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, तीन वर्ष की अवधि के भीतर, अपने पब्लिक शेयर धारण को कम से कम पच्चीस प्रतिशत तक बढ़ाएगी।

(ii) उपनियम (3) का लोप किया जाएगा।

[फा. सं. 5/35/2006-सीएम]

मनोज जोशी, संयुक्त सचिव (वित्तीय बाजार)

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd August, 2014

G.S.R. 611(E).—In exercise of the power conferred by clause (ha) of sub-section (2) of section 30 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957, namely:—

1. These rules may be called the Securities Contracts (Regulation) (Second Amendment) Rules, 2014.
(2) They shall come into the force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957, in rule 19A,
 - (i) in sub- rule (1),—
 - (a) the words “other than public sector Company” shall be omitted;
 - (b) for the proviso the following proviso shall be substituted, namely:—

“Provided that every listed public sector company which has public shareholding below twenty five per cent., on the date of commencement of the Securities Contracts (Regulation) (Second Amendment) Rules, 2014, shall increase its public shareholding to atleast twenty five per cent., within a period of three years, in the manner, as may be specified, by the Securities and Exchange Board of India.”;
 - (ii) sub-rule (3) shall be omitted.

[F. No. 5/35/2006-CM]

MANOJ JOSHI, Jt. Secy. (Financial Markets)